

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील सर्वसाधारण
लाभार्थ्यांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता
अनुदानाचे वितरण.

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०२३/प्र.क्र.४५/विसयो
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३.

वाचा :-

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, दि.
२० ऑगस्ट, २०१९.
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३.
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४५/ विसयो, दि.
२१ एप्रिल, २०२३.
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४५/ विसयो, दि.
२४ मे, २०२३.

शासन निर्णय :-

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.९००,००,००,०००/- (रुपये नऊशे कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदन रु.४५०,००,००,०००/- इतका निधी संदर्भ क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने मंजूर तरतूदीतून रु.४५०,००,००,०००/- इतका निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी एप्रिल, २०२३ ते मार्च, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर केलेली रक्कम रु.४५०,००,००,०००/- (रुपये चारशे पन्नास कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.

२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे.

३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृद्ध विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (०८) (०९) संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (कार्यक्रम) (२२३५ अ २९४) ५०-इतर खर्च" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा.

४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहिल.
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ,क्र.८७६/व्यय-१४, दि.०५ ऑक्टोबर, २०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००६१४३०१२३७२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
- महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(प्रशान्त पुं. वाघ)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद
२. सर्व जिल्हाधिकारी.
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती)
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३, ४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई
८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१०. निवड नस्ती, विसयो.

विवरणपत्र

शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२३/प्र.क्र.४५/विसयो, दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (२२३५ ए २९४)

(रुपये रुपयात)

| अ.क्र. | जिल्हा | नियंत्रक अधिकारी क्रमांक | माहे एप्रिल, २०२३ ते मार्च २०२४ |
|--------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | मुंबई शहर | N००२८ | ० |
| २ | मुंबई उपनगर | N००२९ | १५९११०० |
| ३ | ठाणे | N००३६ | ३१८७१३०० |
| ४ | रायगड | N००१२ | ३२८९२८०० |
| ५ | रत्नागिरी | N००२३ | ३०७६९६०० |
| ६ | सिंधुदूर्ग | N००१८ | २३८६२९०० |
| ७ | पालघर | N००३७ | १७२८०७०० |
| | कोंकण विभाग | | १३८२६८४०० |
| ८ | नाशिक | N०००६ | ६६५९३७०० |
| ९ | धुळे | N००२६ | ५४३२३७०० |
| १० | जळगाव | N००१० | १३५२१५३०० |
| ११ | अहमदनगर | N००३० | ० |
| १२ | नंदुरबार | N००२७ | ९१२७५९० |
| | नाशिक विभाग | | २६५२६०२९० |
| १३ | पुणे | N००४० | १३२६८४१५० |
| १४ | सोलापूर | N००१९ | १६०७६६६०० |
| १५ | सातारा | N००३२ | १४४८९४५०० |
| १६ | सांगली | N०००८ | १०३०२२१८२ |
| १७ | कोल्हापूर | N००३९ | १३८२१०१२० |
| | पुणे विभाग | | ६७९५७७५५२ |
| १८ | नागपूर | N००१४ | २४०१६८००० |
| १९ | वर्धा | N००२५ | ९५०४६८०० |
| २० | चंद्रपूर | N००२१ | १२१५८२२८० |
| २१ | भंडारा | N००३३ | १०२७४७८०० |
| २२ | गडचिरोली | N००१३ | ३७०२२२०० |
| २३ | गोंदिया | N००२४ | ५८७५८४०० |
| | नागपूर विभाग | | ६५५३२५४८० |
| २४ | अमरावती | N००११ | २०७४७५८०० |
| २५ | अकोला | N००४१ | १३१२१९९०० |
| २६ | यवतमाळ | N०००७ | ११०२२६४०० |
| २७ | बुलढाणा | N००३८ | १७३१४४७०० |
| २८ | वाशिम | N००२२ | ५४८४९००० |
| | अमरावती विभाग | | ६७६९१५८०० |
| २९ | औरंगाबाद | N००३५ | ९४७४७६०० |
| ३० | बीड | N००३४ | १०४६०४००० |
| ३१ | नांदेड | N००३१ | ७६९३५९०० |
| ३२ | परभणी | N००१६ | ७४६२३८०० |
| ३३ | उस्मानाबाद | N००२० | ८७६०८८०० |
| ३४ | जालना | N००१५ | ९२२०७८०० |
| ३५ | लातूर | N०००९ | १८०२७७५४९ |
| ३६ | हिंगोली | N००१७ | ४२६२९८०० |
| | औरंगाबाद विभाग | | ७५३६३५२४९ |
| | शासनस्तरावर शिल्लक रक्कम | | १३३१०१७२२९ |
| | एकूण | | ४५००००००० |